

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम सैनीपुरा, पटवार हल्का मण्ड्रेला की भूमि खसरा नं० 181 रकबा 0.38 है०, खसरा नं० 182 रकबा 0.45 है०, खसरा नं० 183 रकबा 0.40 है०, खसरा नं० 184 रकबा 0.96 है०, खसरा नं० 185 रकबा 0.55 है०, खसरा नं० 201 रकबा 0.050 है० कुल कित्ता 06 कुल रकबा 2.79 है० भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ० नरेश सोनी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

सत्यमेव जयते